

MUMBAI BMC CUTS OFC LAYING ACCESS CHARGES IN CITY

The city civic body has massively cut the access charges for optical fibre cable laying to Rs 1,000 per km from the earlier Rs 1 lakh per km in a move intended to benefit telecom companies.

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner IS Chahal, who is also the administrator of the civic body as the term of elected members ended in March.

Cellular Operators Association of India (COAI) welcomed the move saying it will benefit the industry.

COAI said BMC was levying Rs 1 lakh per km for trenching activity as per rules framed in 2015, but added that as per directions issued by the Department of Telecom in 2016, the amount of administrative charges for laying of optical fibre is Rs 1,000 per km of fibre and no other tax, fee, cess, or surcharge shall be levied by local authorities.

The lobby grouping said it had raised the issue of lowering the charges as per the DoT directions since then, as it felt that the high charges were a big roadblock threatening the existence and upcoming telecom infrastructure rollouts in Maharashtra.

The industry will keep pushing for its other demand of lowering the charges to zero, COAI's director general SP Kochhar said. ■



मुंबई बीएमसी ने शहर में ओएफसी बिछाने के शुल्क में कटौती की

दूरसंचार कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शहर के नागरिक निकाय ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए पहले के 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर के विशाल शुल्क में जबरदस्त कटौती करते हुए अब केवल बिछाने के लिए 1000 रुपये प्रति किलोमीटर की पहुंच शुल्क दर तय की है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त आईएस चहल, जो मार्च में समाप्त हुए निर्वाचित सदस्यों की अवधि के रूप में नागरिक निकाय के प्रशासक भी हैं।

सेल्युलर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस कदम का स्वागत करते हुए बताया कि इससे उद्योग को फायदा होगा।

सीओएआई ने कहा कि बीएमसी 2015 में बनाये गये नियमों के अनुसार

ट्रेचिंग गतिविधि के लिए 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर वसूल कर रही थी, लेकिन कहा कि 2016 में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऑप्टिकल फायबर बिछाने के लिए प्रशासनिक शुल्क की राशि 1000 रुपये प्रति किलोमीटर है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई अन्य कर, शुल्क, उपकर या अधिभार नहीं लगाया जायेगा।

लॉबी ग्रुपिंग ने कहा कि उसने तब से दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उसे लगा कि उच्च शुल्क महाराष्ट्र में अस्तित्व और आगामी दूरसंचार बुनियादी ढांचे के रोल आउट के लिए एक बड़ी बाधा है।

सीओएआई के महानिदेशक एसपी कोचर ने कहा कि उद्योग, शुल्क कम करने की अपनी अन्य मांगों पर जोर देता रहेगा। ■

SATELLITE
S & Cable TV
MAGAZINE

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Tel.: +91-22-6216 5313
Email: scat.sales@nm-india.com